

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-04.08.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्री स्वप्निल कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट।
2. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
3. श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
4. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, राजापुर, चित्रकूट।
6. श्री संजय कुमार, श्री शशिकान्त मौर्य, श्री बिरिमल्लाह, श्री शोभित गुप्ता, सहायक, अभियन्ता, (सिविल)/SWSM उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
7. श्री अमय नारायण दीक्षित, डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिटिव टेक लि०, चित्रकूट।
8. श्री विनय कुमार, श्री चन्द्रशेखर गिरि, क्यू०ए०, क्यू०सी० टी०पी०आई०, चित्रकूट।
9. श्री मल्लिकार्जुन रेड्डी, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, एल०एण्ड०टी०/श्री प्रोबिन्स कटियार, प्रोजेक्ट मैनेजर/झर विपिन पाण्डेय, पाइप लाइन इंजार्ज, कार्यदायी संस्था (L&T)
10. श्री अजय कुमार, प्रतिनिधि, कार्यदायी संस्था जी०वी०पी०आर०, चित्रकूट।
11. श्री रवि द्विवेदी, साइट इंजीनियर, कार्यदायी संस्था जी०वी०पी०आर०, चित्रकूट।
12. श्री शिवम, प्रतिनिधि मैसर्स भारतीय इंजीनियर्स, जी०एफ०-18, अली कॉर्पोरेट प्लाजा मैरिज रोड, अलीगढ़।
13. श्री रजत, प्रतिनिधि, मैसर्स शिवा एंजिनिअर्स, नयागांव, गोरखपुर।
14. श्री रितेश कुमार सिंह, डिस्ट्रिक्ट हेड, मैसर्स ईगल इण्डिया प्रा०लि०, चित्रकूट।

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यांत्रिकी) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) श्री सुमित कुमार, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी सेन्सिटिव टेक लि० (TPI) के डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिटिव टेक लि०, श्री अमय नारायण दीक्षित तथा कार्यदायी संस्था-(L&T)के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री मल्लिकार्जुन रेड्डी, प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री प्रोबिन्स कटियार, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि० के प्रतिनिधि श्री अजय कुमार, इंजीनियर से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलीटा सिलीटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल परियोजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या-01, 02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह परियोजना, बरगढ़, परदवां, कोल्हुवामाफी परियोजना के विभिन्न कम्पौनेंट्स पर किये गये कार्यों की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा का विवरण निम्नवत है:-

S. No	District	Agency	Scheme	Village Allotted	Intake	WTP	CWR		OBT			ROAD RESTORATION		
							Required	Complete till Date 04.08.2025	Required	Complete till Date 04.08.2025	Completed (%)	Villages Allotted	Complete till Date 04.08.2025	Restored (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Chitrakoot	GVPR	Rajpura GOV	71	1 (98%)	1 (95%)	11	11	28	25	89.28%	71	58	82%
		Larsen & Toubro Ltd	Silasta Masli GOV	59	1 (98%)	1 (95%)	6	6	17	17	100%	59	54	92%
			Chandi Bangar GOV	286	1 (95%)	1 (90%)	20	20	91	86	94.50%	286	187	65%
Total Chitrakoot				416	3	3	37	37	136	128	94.11%	416	299	79%

S.No	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	Villages Alloted	PIPELINE(KM)								
					RAW WATER			CLEAR WATER			DISTRIBUTION MAIN		
					Required	Complete till Date 04.08.2025	Completed (%)	Required	Complete till Date 04.08.2025	Completed (%)	Required	Complete till Date 04.08.2025	Completed (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	2.41	2.41	100%	245.00	230.50	94.07%	635.00	599.00	98.04%
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Muskil GOV	59	10.55	10.55	100%	165.00	162.00	98.20%	425.00	416.20	97.93%
			Chandi Bangar GOV	286	2.24	2.24	100%	547.00	537.00	98%	2477.00	2196.50	88.68%
Total Chitrakoot				416	15.20	15.20	100%	957.00	929.50	97.12%	3537.00	3211.70	90.80%

S. N o	District	Name of Firm/ Agency	Scheme Name	HGJ Status					Commissioning of Village	
				Villages Alloted	Household	FHTC Given as on Today	FHTC %	HGJ Certified Villages on 04.08.2025	Commissioned village on 04.08.2025	Regular water supply on 04.08.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	GVPR	Raipura GOV	71	19570	16797	85.83 %	43	64	54
		Larsen & Toubro Ltd	Silauta Muskil GOV	59	11925	11410	95.68 %	53	59	59
			Chandi Bangar GOV	286	86157	74630	86.62 %	54	233	144
		Retro and Operation Maintenance Scheme		145	46582	46513	99.85 %	122	127	127
Total Chitrakoot				561	164234	149350	90.93%	171	483	384

List of Manpower Deployed for Civil work in JJM Chitrakoot Project on dated 04.08.2025 Raipura					
S.No.	Descriptions	RaipuraWSS			
		Required Team/Manpower	Deployed Team/ Manpower	Required Team/ Manpower (E&M)	Deployed Team/Manpower (E&M)
1	INTAKE	10	0	10	0
2	WTP	15	04	20	8
3	CWR&PH	40	08	30	0
4	OHT	40	13	20	0
5	PIPELINE & Gap Closing	130	39	-	-
6	COMMISSIONING	100	38	-	-
7	Road Restoration	90	06	-	-
8	FHTC	100	31	-	-
Total		525	139	80	8

List of Manpower Deployed for Civil work in JJM Chitrakoot Project on dated 04.08.2025 SM CB

Sl. No.	Descriptions	Silauta Mustakli				Chandi Banger			
		Required Team/Manpower	Deployed Team/Manpower	Required Team/Manpower (E&M)	Deployed Team/Manpower (E&M)	Required Team/Manpower	Deployed Team/Manpower	Required Team/Manpower (E&M)	Deployed Team/Manpower (E&M)
1	INTAKE	10	0	10	0	10	04	10	0
2	WTP	30	02	10	3	30	07	15	0
3	CWR & PH	50	01	30	0	50	31	50	16
4	OHT	75	05	10	0	350	50	40	0
5	PIPELINE & GapClosing	40	06	-	-	200	129	-	-
6	COMMISSIONING	30	09	-	-	250	55	-	-
7	Road Restoration	30	05	-	-	300	18	-	-
8	FHTC	50	04	-	-	150	35	-	-
	Total	315	32	60	3	1340	329	115	16

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कमोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी गयी है जिसके कारण उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्य की भीतिक प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T)के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री मल्लिकार्जुन रेड्डी, प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री प्रबिन्त कटियार, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि0 के प्रतिनिधि श्री अजय कुमार को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इम्प्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्य के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/ GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। साथ ही साथ फर्म एल0एण्ड0टी0, जी0वी0पी0आर0, रेड्रॉफिटिंग के समस्त कान्ट्रैक्टर्स को निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस कनेक्शन कार्यों के दौरान मानक के अनुरूप ही पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन, एम0डी0पी0ई0 पाइप की गहराई करते हुये कार्य पूर्ण कराए जाएं। नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, एवं टी0आई0पी के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर पाइप लाइन एवं हाउस कनेक्शन के कार्यों को मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथारोघ पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्री सुमित कुमार को समस्त कार्यों की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि वह टी0पी0आई0 सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कार्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणधीन घटक के कार्य स्थलों पर भेजकर सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों की क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय कराया।

2-नियमित जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन की स्थिति

क्र0 सं0	प्रतिशत वार प्रगति	सिलौटा मु0 ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामों एवं मजूरों की संख्या				चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामों एवं मजूरों की संख्या				रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामों एवं मजूरों की संख्या			
		रोड रेस्टोरे शन (ग्राम)	नियमित जलापूर्ति (मजूरों)	लक्षित मैनपावर	कार्यरत मैनपावर	रोड रेस्टोरे शन (ग्राम)	नियमित जलापूर्ति (मजूरों)	लक्षित मैनपावर	कार्यरत मैनपावर	रोड रेस्टोरेशन (ग्राम)	नियमित जलापूर्ति (मजूरों)	लक्षित मैनपावर	कार्यरत मैनपावर
1	100 %	33	111	100	20	38	09	750	202	34	156	320	83
2	75 से 99 %	23	21			95	50			10	20		
3	51 से 75 %	01	05			95	64			13	08		
4	25 से 50 %	00	04			15	58			04	08		
5	01 से 25 %	01	02			20	15			10	01		
6	0 %	01	01			23	1007			0	128		
	योग	59	144			286	1201			71	321		

निर्माणाधीन परियोजनाओं की रोड रेस्टोरेशन की जो प्रगति jjm portal पर टी0पी0आई0 के द्वारा अपडेट अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। कार्यदायी संस्था (L&T/GVPR) के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित मशीनरी एवं मैनपावर जिससे क्षुब्ध होकर ग्राम के निवासियों, सम्बन्धित ग्राम प्रधान/अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन अतिरिक्त मैनपावर लगाकर एवं मशीनरी बढ़ाकर यथाशीघ्र जनपद में निर्माणाधीन समस्त पाइप पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों में खोदी/तोड़ी गयी सड़के/सी.सी.रोड/खड्जा/इंटरलाकिंग इत्यादि के रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को शत-प्रतिशत मानकों के अनुरूप पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। क्वालिटी इंजीनियर, सेन्सिस टेक लि0 टी0पी0आई0 portal पर प्रगति अपडेट की जाये, अन्यथा की स्थिति में जांच करने पर यदि विसंगति पायी जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के समस्त इंजीनियर्स को उपरोक्त परियोजनाओं के ग्रामों के कार्य स्थलों में भेजकर रोड रेस्टोरेशन के कार्यों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामग्रियों की मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त ग्रामवासियों/मा0 जन प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन से सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित समाधान कराना सुनिश्चित करें।

उ0प्र0 जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की समीक्षा -

अधिसूची अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट की परियोजनायें रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन (पैकेज 01,02 व 03) मऊ बरगढ़ परदवा, कोल्हुवामाफी परियोजनाओं के कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

S. No	District	Scheme	Village Allotted	CWR		OHT			Comissioning of Village	
				Required	Complete till Date 04.08.2025	Required	Complete till Date 04.08.2025	Completed (%)	Comissioned village on 04.08.2025	Regular water supply on 04.08.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Chitrakoot	Package 1	16	11	11	5	5	100%	14	10
2		Package 2	14	13	13	7	7	100%	08	07
3		Package 3	10	10	10	5	5	100%	5	5
4		Mau Retrofitting	11	8	7	2	2	0%	4	4
5		Bargah Retrofitting	9	9	8	0	0	-	3	6
6		Pardawan WSS	3	0	0	3	2	67%	1	1
7		Kolhus Mafi	1	0	0	1	1	100%	0	0
Total Chitrakoot			64	51	49	23	22	69%	40	33

S. No	District	Scheme	Village Alloted	Pipeline				FHTC	
				Rising Main		Distribution		Required	Complete till Date 04.08.2025
				Required	Complete till Date 04.08.2025	Required	Complete till Date 04.08.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Chitrakoot	Package 1	16	7.06	7.06	113.54	123.97	9358	9109
2		Package 2	14	12.42	6.29	99.44	94.69	6122	4075
3		Package 3	10	11.98	6.05	71.21	71.21	9355	4557
4		Mau Retrofitting	11	9.28	0	84.28	80.93	4215	2730
5		Bargah Retrofitting	9	14.13	0	67.97	67.97	2941	2744
6		Pardawan WSS	3	0.65	0	9.50	8.80	790	460
7		Kolhas Mafi	1	0.05	0	2.55	2.00	60	30
Total Chitrakoot			64	55.12	15.83	448.49	449.57	32841	23705

समझता हुआ है कि जब निगम की रेस्टोरेशन परियोजना अगर्नल पैकेज-01, 02, व 3, तक परिवर्तित, बरखद परियोजना, परदेवा परियोजना, कोटदुधामठो परियोजना, के CWRs, OHTs, पाहालवाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति कारी धीमी एवं छत्राप है। तथा के अग्रुप मैन्वर एवं मशीनरी ज़मी लगायी जा रही है। उपरोक्त उत्तरी कारी के दुर्घटना आर्थिकता तथा जो उर्वरित मैन्वर एवं मशीनरी की रैपिडिटी के कारण पूर्ण क्रिये जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित शर्त पाटी इंगेजमन सेरिस टेक लिम के डिप्टी टीएम सीकर, बी अग्रुप नालयम डीपल एवं नैडल डेक्का जल निगम के अधिकांशी अधिपना एवं समस्त स्टाफक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी कामों के कार्यों स्थानी पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मेटेरियल/सामग्रीयों का मानक के अनुसार क्वालिटी/गुणवत्ता का विश्लेषण करके हुए कार्यों में भौतिक प्रगति बढ़ाने जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करने तथा नैडल निगम जल वीजन मिशन, 2030 जल निगम (प्राथमिक) के अधिकांशी अधिपन, की अग्रुप कुमर भारती, एग्रेगता सभी कार्यों का निरन्तर अनुपक्षण करते हुए अपने सतत तथा प्राथमिक करने के सख्त निर्देश दिये गये।

संचित ऑपलाइन आई.जी.आर.एच सन्दर्भों का विवरण

TYPE OF COMPLAINT	LAT	LONG	MWL	BARGARH	64/08/2019		
					PACKAGE 1	PACKAGE 2	PACKAGE 3
PPE LAYING	13	43	00	00	02	00	00
ROAD RESTORATION	15	42	00	00	00	00	00
REGULAR WATER SUPPLY	124	39	33	02	11	02	03
LEAKAGE	65	44	01	00	02	00	00
HOUSE CONNECTION	08	42	00	00	00	00	00
TOTAL	160	30	11	02	15	02	03

समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यवाही संस्थाओं के प्रोटेक्ट मैनेजर/टीएम सीकरों को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार की विचारणीय औपचारिक/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का गहन/छात्र/समापक एवं स्वीकृतक, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण करना तथा सभी नैडल निगम जल वीजन मिशन, 2030 जल निगम (प्राथमिक) के अधिकांशी अधिपन, की आशीष पुनर भारती को निरन्तर अनुपक्षण करते हुए अपने सतत तथा प्राथमिक करने के निर्देश दिये गये।

परिशीलनार्थी की सभीका के उपर से स्वयं मानचित्र करने के निर्देश दिये गये:-

1. सिविलीय मूसाफिल ग्राम समूह पेपलत योजना के अन्तर्गत समस्त 09 ग्रामों में विद्यमान जलपूर्ति प्रारम्भ हो गई है। योजना के अन्तर्गत कुल 59 ग्रामों में 144 मजदूरों में से 111 मजदूरों में सत प्रगतिता नियमित जलपूर्ति बाहु हो गई है। 24 मजदूरों में अधिकतम रूप से जलपूर्ति की जा रही है। 34 मजदूरों में जलपूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है, यिनमें सत-प्रगतिता नियमित जलपूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को पूर्ण करवाकर समस्त 71 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण करवा जलने के निर्देश दिए गए।
2. रेगुरा ग्राम समूह पेपलत योजना के अन्तर्गत समस्त 71 ग्रामों के समस्त 84 ग्रामों में विद्यमान जलपूर्ति प्रारम्भ हो गई है। योजना के अन्तर्गत कुल 71 ग्रामों में 321 मजदूरों में से 181 मजदूरों में सत प्रगतिता नियमित जलपूर्ति बाहु हो गई है। 24 मजदूरों में अधिकतम रूप से जलपूर्ति की जा रही है। 34 मजदूरों में जलपूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है, यिनमें सत-प्रगतिता नियमित जलपूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को पूर्ण करवाकर समस्त 71 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण करवा जलने के निर्देश दिए गए।
3. चांदी बागर ग्राम समूह पेपलत योजना के अन्तर्गत समस्त 208 ग्रामों के समस्त 144 ग्रामों में विद्यमान जलपूर्ति प्रारम्भ हो गई है। योजना के अन्तर्गत कुल 208 ग्रामों में 1201 मजदूरों में से 24 मजदूरों में सत प्रगतिता नियमित जलपूर्ति बाहु की गई है। 257 मजदूरों में अधिकतम रूप से जलपूर्ति की जा रही है। 25 मजदूरों में जलपूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है, यिनमें सत-प्रगतिता नियमित जलपूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को पूर्ण करवाकर समस्त 208 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण करवा जलने के निर्देश दिए गए।
4. पेपलत समुदायों के लक्षित समुदाय के लिए जल निगम कार्यालय में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें सहायक अभियंता सत के दो वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कंट्रोल रूम में जाए हो रही समस्तों का वारिष्ठ लक्षित निस्तारण किया जा रहा है। (सहायक अभियंता की सौचित पुनः, मोबा-7030211124 एवं बी नुतम सिविल, सहयक अभियंता, मोबा-7275340324)
5. चांदी बागर, सिविलीय मूसाफिल एवं रेगुरा ग्राम समूह पेपलत योजना के अन्तर्गत जो ओपनपेटीय सभी सत नियमित नहीं हुए हैं, उन ओपनपेटीय को नियमित करने के लिए तथा ओपनपेटीय पर अग्रुप विनिर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य योजना तैयार करके रोड कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराए।
6. योजनाओं के अन्तर्गत जलनिर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य योजना तैयार करके प्रत्येक दिन की कार्य योजना के अनुसार जलनिर्माण इन्जीनियर शर्त पाटी एजेंसी के समुदाय से कार्यों को अनुपक्षण लक्षित से पूर्ण करवा सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक जलनिर्माण इन्जीनियर एवं टीएमआई के इन्जीनियर नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट अग्रुप निर्यातकर्ता महोदय (नर्मित गों) को प्रस्तुत करें। अन्तर्गत की विधिति में अनुपक्षणकर्ता कार्यालयी क्षेत्र बना होना पड़ेगा।
7. सभी एलएचएटीय एवं रीटिडीयोरिआर को निर्देश दिए गए कि अग्रुपक मैन्वर मशीनरी लगाकर सबरिगर समस्त कार्यों को पूर्ण करवाकर नियमित जलपूर्ति बाहु करवा सुनिश्चित करें। अन्तर्गत की विधिति में एमिशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

8. जिला पंचायत राज अधिकारी, चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में फर्म के द्वारा शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है वहां पर जूनियर इंजीनियर के साथ और टीपीआई के इंजीनियर के साथ ग्राम प्रधान एवं सचिव की संयुक्त टीम से जांच कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
9. जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद के समस्त निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा उ०प्र० जल निगम की रेट्रोफिटिंग/डिमाण्ड ओनली वाली परियोजनाओं के अन्तर्गत घटकवार जैसे इण्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs के घटकवार अवशेष कार्य एवं पाइपलाइन, हाउस कनेक्शन, गैप क्लोजिंग/लीकेज/रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति, कमीशनिंग के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के लिये ग्रामवार माइक्रोप्लान तैयार कर नोडल विभाग जल निगम (ग्रामीण) के कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये। ताकि सम्बन्धित इंजीनियर्स द्वारा उपरोक्त कार्यों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा सके। सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ट्रायल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है, जिसे एक माह के अन्दर तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, एल०एण्ड०टी० के द्वारा आश्वासन दिया गया कि चांदी बगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 05 नग ओ०एच०टी० के कार्य 22 अगस्त 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे एवं समस्त 91 नग ओ०एच०टी० को दिनांक-16.08.2025 तक फंक्शनल कराते हुए एक माह के अन्दर योजनान्तर्गत अवशेष ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जाएगी। निर्देश दिए गए कि अन्य समस्त निर्माण कार्यों को उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों के अनुसार एक माह के अन्दर प्रत्येक दशा में पूर्ण कराकर योजना का ट्रायल एण्ड रन प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 06 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण एक माह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
11. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 03 नग ओ०एच०टी० के कार्य प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर, 2025 तक, 01 नग ओ०एच०टी० दिनांक-30.11.2025 तक तथा अन्य समस्त समस्त निर्माण कार्यों को भी उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों के अनुसार 30 सितम्बर, 2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराकर योजना का ट्रायल एण्ड रन प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त परियोजनाओं के सभी घटकों/संरचनाओं पर समानान्तर रूप से पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए समयबद्ध रूप से कार्य को पूर्ण कराया जाए। रेट्रोफिटिंग के समस्त ठेकेदारों को कड़े निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को दिनांक-30 सितम्बर, 2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। दिनांक-30 सितम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण न होने की दशा में सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध एल०डी०/टर्मिनेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
12. समस्त सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को निर्देश दिये गये कि जनपद के जिन ग्रामों में शत-प्रतिशत रोड़ रेस्टोरेशन एवं नियमित जलापूर्ति का कार्य पूर्ण है तथा हर घर जल प्रमाणीकरण कराये गये ग्रामों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव/पंचायत सहायक से समन्वय स्थापित करते हुए कराना सुनिश्चित करें एवं सत्यापन रिपोर्ट अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
13. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरता पूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये। फर्म एल०एण्ड०टी० एवं जी०पी०आई० को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
14. निर्माणाधीन परियोजनाओं के जिन ग्रामों में ओ०एच०टी०, सी०डब्ल्यूआर०, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, राइजिंग मेन, हाउस कनेक्शन तथा रोड़ रेस्टोरेशन इत्यादि कार्यों को निर्धारित लक्ष्य अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है तथा रोस्टरवार नियमित जलापूर्ति की जा रही हो उन सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक आयोजित कराकर "हर घर जल" मार्क किये जाने एवं प्रमाणीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाये। उक्त बैठक में अधिक से अधिक ग्रामवासियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
15. जनपद में निर्माणाधीन समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने परियोजना अन्तर्गत कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये तथा कार्यों हेतु प्रचलित विशिष्टियों एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण प्रचलित विशिष्टियों/मानकों के अनुसार किया जाये। टी०पी०आई० द्वारा उपरोक्त मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
16. नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण के समस्त इंजीनियर्स (सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल)/टी०पी०आई० द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुये प्रचलित तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण के द्वारा भी स्वयं के स्तर से प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर अनुश्रवण किया जाये। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

17. जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सभी पाइप पेक्जल परियोजनाओं के सभी घटकों में विद्युत कनेक्शन/ऊर्जाकृत किये जाने हेतु अवशेष सभी कार्यों को यथाशीघ्र/समयबद्ध रूप से पूर्ण करावे। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
18. जल जीवन मिशन अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी सड़क/सी0सी0रोड/इन्टरलाकिंग इत्यादि को पाइप लाइन की हाइड्रोटेस्टिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त तत्काल पुनः स्थापित करा दिया जाये, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी न हो। समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान हातिवस्त की गयी सड़कों के पुर्नस्थापन का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक-31.12.2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
19. फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेक्जल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य दिनांक-15.08.2025, चांदी बांगर ग्राम समूह पेक्जल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य दिनांक-15.08.2025 एवं रैपुरा ग्राम समूह पेक्जल योजना के अन्तर्गत डिमाण्ड ओनली के समस्त ग्रामों में राइजिंग मेन का कार्य दिनांक-15.08.2025 तक प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
20. फर्म जी0वी0पी0आर0 के प्रतिनिधि श्री अजय कुमार को निर्देशित किया गया कि रैपुरा ग्राम समूह पेक्जल योजना के अन्तर्गत जिन मजूरों को योजना के मूल ड्राइंग डिजाइन में फर्म के द्वारा छोड़ दिया गया था, उन मजूरों में डिजाइन के अनुसार पाइप लाइन बिछाकर डिजाइन के अनुसार फीडर मेन बदलने/बूस्टर पम्प लगाने/राइजिंग मेन पाइप लाइन बिछाने आदि सम्बन्धी जो भी कार्यवाही की जानी है वह अविलम्ब पूर्ण कर्त्तकर समस्त मजूरों में मानक के अनुरूप नियमित जलापूर्ति वाला कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में फर्म के टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
21. समस्त कार्यदाई संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायत भवन, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैण्ड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेक्जल से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
22. फर्म एल0एण्ड0टी0 चित्रकूट के द्वारा योजनान्तर्गत नियमित जलापूर्ति हो रहे ग्रामों की सूची जिलापंचायत राज अधिकारी चित्रकूट को सत्यापन हेतु उपलब्ध कराई गई।
23. जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर एवं रैपुरा ग्राम समूह पेक्जल योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा पूर्व में पत्र के माध्यम से प्रेषित एवं बैठक के दौरान वाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार विद्युत फ्लक्चुएशन के स्थाई समाधान हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत क्लिरेण खण्ड, राजापुर चित्रकूट को निर्देश दिए गए। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
24. जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत चांदी बांगर ग्राम समूह पेक्जल योजना के अन्तर्गत ग्राम सखुवा में पुल के ऊपर से पाइप लाइन बिछाए जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्र0खण्ड, चित्रकूट के द्वारा लोड कैल्कुलेशन (पाइप/वाटर) एवं डिजाइन ड्राइंग यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई, जिसके उपरान्त पाइप लाइन बिछाए जाने के लिए अनुमति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके।
25. सहायक अभियन्ता नोडल आई0जी0आर0एस0 के द्वारा अवगत कराया गया कि आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों का समयान्तर्गत निस्तारण नहीं किया जाता है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिकायत की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं होने एवं डिफाल्टर श्रेणी में आने की स्थिति में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
26. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेक्जल योजना के अन्तर्गत बरूआ ग्राम में जल भराव होने के कारण निर्मित इन्टेक वेल से पम्पिंग न होने के कारण विकास खण्ड रामनगर के समस्त ग्रामों में जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है। फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को कड़े निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत नाव का बंदोबस्त करते हुए इन्टेक वेल तक पहुंचकर पम्पिंग करते हुए समस्त ग्रामों में पेक्जल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
27. रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन पेक्जल योजना, रेट्रोफिटिंग मऊ एवं बरगड़ ग्राम समूह पेक्जल योजना एवं कोल्हुवागाफी व परदवां पेक्जल योजना के ठेकेदारों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं की प्रगति बहुत खराब होने के कारण लोकार्पण हेतु सूची प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। निर्देश दिए गए कि पर्याप्त मशीनरी व मैनपावर लगाते हुए समस्त अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराकर ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करते हुए ग्रामों को हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में फर्म के विरुद्ध अनुबन्ध की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एल0डी0 लगाने/टर्मिनेशन की कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को संस्तुति कर दी जाएगी।

28. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त फर्मों के प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए गए कि ग्रामों में ओओएचटीओ फंक्शनारिटी, नियमित जलापूर्ति, अवशेष रौड रेस्टोरेसन एवं हर घर जल प्रमाणीकरण कार्य का साप्ताहिक कार्ययोजना बनाकर प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11.00 बजे तक प्रत्येक दशा में खण्ड कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्ययोजना के अनुसार कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में टर्मिनेशन/विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यवाही संस्था-(L&T) / (GVPR)इंजीनियर्स लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परिचोजना से आधुनिकित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्य स्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जीपीएस, फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जेओपीओएमओ वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मनीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(अमृतपाल कौर)
मुख्य विकास अधिकारी
चित्रकूट

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट

संख्या 123 / बैठक ज०मी०मि०-चित्रकूट /2025 /म-20/ 25 दिनांक 03/09/2025
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा।
5. मुख्य अभियन्ता, (दुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) झाँसी।
6. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
7. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट।
8. जिला विकास अधिकारी, चित्रकूट।
9. जिला पंचायतराज अधिकारी, चित्रकूट।
10. समस्त खण्ड विकास अधिकारी चित्रकूट।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यों०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, चित्रकूट।
14. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), राजापुर।
15. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
16. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंप्रेशन (टीपीओआईओ), सेल्सिस टेक लि० चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
17. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
18. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी०पी०एम० कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
19. समस्त ठेकेदार उ०प्र० जल निगम/रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगढ़, परदवा एवं कोल्लुवमाफी को अनुपालनार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी
चित्रकूट